



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052021-227272
CG-DL-E-31052021-227272

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2021/ज्येष्ठ 10, 1943

No. 288]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 2021/JYAISHTHA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2021

सं. 31/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 354(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 28/2021- सीमाशुल्क, तारीख 24 अप्रैल, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 286 (अ), तारीख 24 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

(क) उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"19.	29 या 30	एम्फोटेरिसीन बी।";

(ख) पैराग्राफ 2 में, अंक, अक्षर और शब्द "31 जुलाई, 2021" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 अगस्त, 2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/37/2021-टीओ(टीआरयू-1)-सीबीईसी(पीटी-1)]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 28/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अप्रैल, 2021 को सा.का.नि. 286(अ), दिनांक 24 अप्रैल, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2021

No. 31/2021-Customs

G.S.R. 354(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with section 141 of Finance Act, 2020 (12 of 2020), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 28/2021-Customs, dated the 24th April, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 286(E), dated the 24th April, 2021, namely:-

In the said notification,-

(a) in the Table, after S.No. 18 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“19.	29 or 30	Amphotericin B.”;

(b) in paragraph 2, for the figures, letters and word “31st July, 2021”, the figures, letters and word “31st August, 2021” shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/37/2021-TO(TRU-I)-CBEC(Pt-I)]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 28/2021-Customs, dated the 24th April, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 286(E), dated the 24th April, 2021.